सार्वजनिक सूचना

वन विभाग हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों की अनुबन्ध आधार पर भर्ती

चम्बा वन वृत चम्बा।

चम्बा वन वृत में अनुबन्ध के आधार पर (on contract basis) वन रक्षकों के कुल 15 (अचयन/non-selection) पदों के लिए सीधी भर्ती हेतू online आवदेन आमन्त्रित किये जाते हैं। यह भर्ती सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या एफएफई–ए(बी)2–3/2016 दिनांक 12.07.2019 एवं हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना FFE-A(B)2-23/2010 दिनांक 20.09.2014, FFE-A(B)2-23/2010-I दिनांक 08.07.2016, FFE-A(B)2-8/2017 दिनांक 26.08.2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक वर्ग–III] (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2014 और संशोधित नियम 2016 व हि0 प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः Per(AP.B)B(15)-5/2014 dated 17.04.2017, 25.04.2017 व FFE -A(B) 2-3/2016 dated 12.07.2019 & 19.04.2021 के आधार पर की जा रही है। यह भर्ती खुली है और वन वृत स्तर पर की जा रही है। अभ्यार्थी का नाम हिमाचल प्रदेश में किसी भी रोज़गार कार्यालय/उप–रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। वन रक्षकों के भर्ती एवं प्रोन्नती नियम हिमाचल प्रदेश वन विभाग की **website hpforest.nic.in** में उपलब्ध हैं।

इस प्रकार नियुक्त वन रक्षक को (5910/– रूपये मूल वेतन +2000/– ग्रेड पे व ग्रेड पे पर स्वीकार्य बढ़ौतरी मासिक का निर्धारित (fixed) भुगतान किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को अनुबन्ध के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा। जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण अवधि विस्तार, वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण सम्बन्धित अरण्यपाल द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पशचातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि देने का प्रावधान है।

वन रक्षक का पद वृत स्तरीय संवर्ग का है। नवनियुक्त वन रक्षकों की पहली तैनाती जन जातीय/दूर्गम क्षेत्रों में पद उपलब्धता के आधार पर प्रावधित है। यदि आवेदक वन विभाग में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्तों एवं योग्यता पूरी करता हो तो On online आवेदन वन विभाग के लिंक **http://forp.hp.gov.in** पर कर सकते हैं। Online माध्यम से दिनांक 06.07.2021 से अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि 19 अगस्त 2021 समय सायं 5 बज़े तक है। महिला उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकती है। जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र के उम्मीदवार को भी इसी अवधि तक Online आवेदन करने होंगे। चम्बा वन वृत में श्रेणीबार उपलब्ध पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्रेणी	अनारक्षित	गृह रक्षक	भूतपूर्व सैनिक	कुल योग
सामान्य	7	0	1	8
अनुसूचित जाति	3	0	0	3
अनुसूचित जन जाति	0	0	0	0
अन्य पिछड़ी जाति	3	0	0	3
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) केवल सामान्य वर्ग से	1	0	0	1
योग	**14**	**0**	**1**	**15**

नोट भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पद की भर्ती हेतू उम्मीदवार आवदेन न करे , उनकी भर्ती हेतू सम्बन्धित विभाग को नाम अनुमोदन करने के लिए अलग से लिखा जाएगा।

I-पात्रता की आवश्यक शर्तें एवं योग्यताएंः–

1. उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. उम्मीदवार का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत/ नवीनकृत (Renewal) होना अनिवार्य है।

3. उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।
5. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो (10+2) की कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उतीर्ण की होनी चाहिए।

6. उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान होना चाहिए और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना चहिए।

7. यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतू आरक्षित पद पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में आरक्षित पद स्वंयता अनारक्षित समझा जाएगा व इस पद को सम्बन्धित अनारक्षित उम्मीदवार से भर लिया जाएगा।

8. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारो को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

9. सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के BPL उम्मीदवारों को आय व समप्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उनको सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी से गैर SC/ST/OBC का प्रमाण पत्र देना होगा जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 11.06.2019 को निर्देशित है।

न्यूनतम शारीरिक मापदण्डः–

मापदण्ड				**पुरूष**		**महिला**	
1)	लम्बाई			165	सैं0मी0	150	सैं0मी0
2)	छाती	(क)	बिना फुलाए	79	सैं0मी0	74	सैं0मी0
		(ख)	फुलाकर	84	सैं0मी0	79	सैं0मी0

नोटः– अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की बावत शारीरिक मापदण्ड लम्बाई में 5 सैं0मी0 तथा छाती को फुलाए बिना और फुलाकर प्रत्येक की बावत माप में 4 सै0 मी0 की छूट दी जाएगी।

II-भर्ती प्रकियाः–

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट)(पी ई टी) केवल अर्हक परीक्षण (टैस्ट) होगा।**
वे उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक मापदण्ड पूर्ण करते हों, उन्हें निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण, निम्न तालिका अनुसार किया जाएगा।

(i) **पुरूष अभ्यार्थियों के लिएः–**

क्रम सं0	**मद**	**न्यूनतम मापदण्ड**	**टिप्पणियां**
1.	100 मीटर की दौड़	14 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल अर्हक
2.	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।	केवल अर्हक
3.	उंची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)	केवल अर्हक
4.	लम्बी कूद (ब्राड जम्प)	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक

(ii) **महिला अभ्यार्थियों के लिएः–**

1.	100 मीटर की दौड़	17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल अर्हक
2.	800 मीटर की दौड़	4 मिनट 15 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)।	केवल अर्हक
3.	उंची कूद	न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक
4.	लम्बी कूद (ब्राड जम्प)	3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिये जाएगें)।	केवल अर्हक

2. लिखित परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए संचालित की जाएगी जो उपरोक्त अधिकथित मापदण्डों (नॉर्मज) के अनुसार शारीरिक दक्षता (टैस्ट) उत्तीर्ण करते हों। लिखित परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा, सामान्य विज्ञान एवं गणित दसवीं स्तर के वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, तर्क–वितर्क आदि के 85 वस्तुनिष्ठ प्रकार (ऑबजैक्टिव टाईप) के प्रश्नों से समाविष्ट, 85 अंको की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 75 मिनट की होगी।

लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान बारे उन्हें शारीरिक दक्षता परिक्षण के बाद सूचित किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा राज्य के समस्त वन वृतों में एक ही दिन संचालित की जाएगी। उत्तर पुस्तिका पर इस्तेमाल करने हेतू प्रार्थी को नीली/काली स्याही का बॉल पैन व लिखने के लिए गत्ता लाना अनिवार्य होगा।

मूल्याकंन : उपरोक्त पदो के लिए योग्यता सूची (Merit List) लिखित परीक्षा के अंको व नीचे दर्शाए गए प्रमाण पत्रों, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी0 बी) बी (15)–5/2014 दिनांक 17.04.2017 व 25.04.2017 द्वारा अधिसूचित किया गए हैं, के आधार पर मुल्याकंन किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को निर्देश दिए जाते है कि वह नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों को स्वयं सत्यापित करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र के साथ आवश्य भेजें। प्रमाण पत्रों के आधार पर अंकों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

	<u>लिखित परीक्षा</u> (लिखित परीक्षा में प्राप्ताकों की प्रतिशतता 85 अकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालें अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगें)।	85 अंक
1	अभ्यर्थी का मूल्याकंन निम्नलिखित रीति में किया जाना है। (कुल 15 अंक) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतू वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्ताकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, जो उसे 1.25 अंक (50 × 0.025 = 1.25 अनुज्ञात किए जाएंगे)	= 2.5 अंक
2	यथास्थित, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	= 01 अंक
3	भूमिहीन कुटुम्ब /एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बंद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	= 01 अंक
4	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/ अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है।	= 01 अंक
5	40 प्रतिशत विकृति / निःशक्तता/ दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	= 01 अंक*

6	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/ राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	= 01 अंक
7	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	= 02 अंक
8	विधवा/ तलाक शुदा/ अंकिंचन/ एकल महिला।	= 01 अंक
9	इकलौती पुत्री/ अनाथ	= 01 अंक
10	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	= 01 अंक
11	सरकारी/ अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	= 2.5 अंक
	(*क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दु के अधीन कोई अंक नही दिया जाएगा।)	

आवेदकों के लिए निर्देशः–

1. आवदेक केवल वन विभाग की लिंक http://forp.hp.gov.in पर online आवेदन कर सकते हैं। केवलonline platform से ही सूचित किया जाएगा इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।
2. यदि कोई आवेदन अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
3. यदि शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
4. उम्मीवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ मूलरूप में अपने साथ अवश्य लायेंः–
   क. मैट्रिक एवं 10+2 पास का प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
   ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   ग. एन. सी. सी./एन. एस. एस./खेल, अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   घ.रोजगाार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
   ड़.पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत, भूमिहीन परिवार/ ऐसा परिवार जिनकी भूमि 1 हैक्टयर से कम हो, बेरोजगार प्रमाण पत्र कि अभयार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी एवं अर्ध–सरकारी नौकरी में नही है। बी0 पी0एल0 परिवार जिनकी वार्षिक आय 40,000 हजार से कम या सरकार द्वारा समय–समय पर तय, विधवा / तलाक शुदा / जरूरत मंद / एकल महिला, एकल पुत्री /अनाथ, सम्बन्धित क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण जो कि मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से हो, सम्बन्धित क्षेत्र में सरकारी एवं अर्ध–सरकारी संस्थान से कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. जिन अभ्यार्थियों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित आवेदन किया है वे निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
   क. समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय सम्बन्धित प्रमाण पत्र जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो।
   ख. ग्रामीण क्षेत्र में 1 हैक्टयर से कम कृषि योग्य भूमि का प्रमाण पत्र ।
   ग. शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से कम कृषि योग्य भूमि का प्रमाण पत्र।
   घ. ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में 2500 वर्ग फीट से कम क्षेत्र में निर्मित रिहायशी मकान /फलैट सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   ड़. आवेदक के परिवार द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
   च. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों सम्बन्धित बेरोजगारी प्रमाण पत्र ।

6. यदि प्रार्थी किसी भी परीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।

7. सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए/बिना शर्त इस चयन प्रकिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव का अधिकार रखता है।
8. अनुबन्ध पर नियुक्त अभ्यार्थी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार नहीं होगा।
9. जब उम्मीवार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतू बुलाये जायेंगे उस समय वह 4 प्रतियां पासपोर्ट साईज़ फोटोग्राफ साथ लायें।
10. किसी भी तरह से offline mode पर आवेदन मान्य नहीं होगें ।
11. अनुबंध के आधार पर नियुक्त अनुबन्धी को किसी भी दशा से सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12 प्रमाण पत्र का स्वयं सत्यापन मान्य होगा।
13. समस्त भर्ती प्रकिया COVID सम्बधि हालात व इस बारे सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशो व COVID Protocal पर निर्भर करेगीं।

आवेदन भेजने से पहले उपरोक्त शर्तों एवं पूर्ण विज्ञापन का अवलोकन करें।

वन रक्षकों के भर्ती एवं प्रोन्नती नियम हिमाचल प्रदेश वन विभाग की **Website hpforest.nic.in** में उपलब्ध हैं।

अन्य जानकारी के लिए मुख्य अरण्यपाल चम्बा वन वृत के कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वन वृत चम्बा 01899–222237, 225839

-Sd-

मुख्य अरण्यपाल चम्बा
वन वृत चम्बा।